

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 129/2023

GCMS No. : 2023/269

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
जरिये सरकार आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. अमरचन्द्र पुत्र छाजुराम मैसर्स एएसए एन्टरप्राइजेज हरिओम नगर खैरवा रोड पाली 2. वरुण बेवरेज लिमिटेड एसपीएल-1-159 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज-3 बोरानाडा जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।



:- निर्णय :-

दिनांक : 16.7.2024

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 17.03.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 के गोदाम मैसर्स एएसए एन्टरप्राइजेज हरिओम नगर खैरवा रोड पाली पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया, अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम अमरचन्द्र पुत्र छाजुराम बताया। गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया कि एक कार्टून में 50-60 बोतल Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) आमजन को बेचने के लिए रखा गया हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) की 12 बोतल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 480/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से


Luk

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

खरीदशुदा Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) की खरीद शुदा 12 बीतलों को चार भागों में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं रिसिपल नम्बर आर-1725 लिखा एवं नमूना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सीलबंद कर अपने जाबो में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। कोई गवाह मौजूद नहीं होने से साथ आये ओम प्रकाश प्रजापत कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, नमूना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमूने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमूना संख्या आर-1725 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/651/एक्ट/2023/694 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार Misbranded Food पाया गया। अप्रार्थी ने गोदाम से नमूना लेते समय वरुण बेवरेज लिमिटेड एसपीएल-1-159 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 03 बोरानाडा जोधपुर से खरीद का बिल पेश किया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवायी गई, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण पेश किया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded Food, Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2023 को अप्रार्थी के गोदाम से Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) का नमूना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1725 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी के गोदाम से वास्ते जांच लिये गये Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) का नमूना कोड संख्या आर-1725 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के गोदाम से लिया गया Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand)


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

का नमुना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया जिसका अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 28 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) Sweetened Carbonated water (Mirinda Brand) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थी पर 25,000/- अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये कुल 50,000/- पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



Luks

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पाली

निर्णय आज दिनांक 16/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luks

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली